राजस्थान सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

पीठासीन अधिकारी – जय सिंह, आर.ए.एस.

प्रार्थना पत्र सं. 59/2020

1. श्रीमती शान्ति देवी बेवाह बिहारी उम्र 80 वर्ष
2. नत्थूराम उम्र 64 वर्ष
3. रामोतार उम्र 60 वर्ष
4. जयकिशन उम्र 57 वर्ष
5. सुरेन्द्र उम्र 54 वर्ष
6. ब्रहमानन्द उम्र 50 वर्ष
7. सतपाल उम्र 48 वर्ष
8. धर्मेन्द्र उम्र 44 वर्ष

पुत्रान बिहारी समस्त जाति खाती पेशा खेती निवासीगण ककराय तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

9. सुमित्रा पुत्री स्व. बिहारी पत्नी देववृत उम्र 45 वर्ष जाति जांगिड़ निवासी अटेली बेगपुर (हरियाणा)

.....प्रार्थीगण

ब–ना–म

1. देवीदत्त उम्र 77 वर्ष
2. गिरधारी उम्र 72 वर्ष
3. प्रभूदयाल उम्र 60 वर्ष

पुत्रान स्व. बस्तीराम समस्त जाति खाती पेशा कृषि निवासीगण ककराय तहसील खेतडी जिला झुन्झुनूं, राज0

4. बलबीर पुत्र स्व. इन्द्राज – मृतक

4/1. श्रीमती गीतादेवी पत्नी स्व. बलबीर

4/2. विजय पुत्र स्व. बलबीर
4/3. रोहताश पुत्र स्व. बलबीर
4/4. पूनम पुत्री स्व. बलबीर
4/5. सीमा पुत्री स्व. बलबीर
4/6. सपना पुत्री स्व. बलबीर

जाति खाती निवासीगण ककराय तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

5. संतलाल उम्र 70 वर्ष पुत्र स्व. इन्द्राज जाति खाती निवासी ककराय तहसील खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0
6. भूमि धारक जरिये तहसीलदार, खेतड़ी जिला झुन्झुनूं, राज0

.....अप्रार्थीगण

प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:45 IST
Reason: SelfAttested

:: **निर्णय** :: **दिनांक 11–05–2022**

प्रार्थीगण की ओर से प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश हुआ है कि ग्राम ककराय आराजी कृषि भूमि साबिक ख.नं. 124 रकबा 6 बीघा बिस्वा, ख.नं. 276 रकबा 5 बीघा 15 बिस्वा, ख.नं. 295 रकबा 5 बीघा 8 बिस्वा, ख.नं. 296 रकबा 4 बीघा 9 बिस्वा कुल किता 4 कुल रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा पुख्ता जिसके हाल खाता संख्या 91 के ख.नं.

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

188 रकबा 0.65 है., ख.नं. 312 रकबा 0.51 है., ख.नं. 313 रकबा 0.01 है., ख.नं. 314 रकबा 1.02 है., ख.नं. 332 रकबा 0.38 है., ख.नं. 333 रकबा 0.40 है., ख.नं. 338 रकबा 0.55 है., ख.नं. 339 रकबा 0.90 है., ख.नं. 497/312 रकबा 0.05 है., ख.नं. 498/314 रकबा 0.05 है. कुल किता 10 कुल रकबा 4.52 है. दर्ज रिकार्ड हुये हैं। जमाबन्दी संवत् 2012 खाता संख्या 28 ग्राम ककराय में मांगू वल्द सेडू व बस्ती पुत्र चन्द्रा कौम खाती निवासी ककराय के नाम उनकी खातेदारी में बहिस्सा बराबर–बराबर रहा है व है। आराजी कृषि भूमि मुन्दर्जे धारा/वादपत्र इसके पश्चात् भी संवत् 2024 तक उपरोक्त प्रकार से ही जमाबंदियों में दर्ज रिकार्ड होती रही व दर्ज है। प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 3 वाद वर्णित कृषि भूमि के अपने 1/2, 1/2 भाग पर बदस्तूर काबिज चले आ रहे हैं व है। तत्पश्चात् वाद वर्णित कृषि भूमि जमाबंदी संवत् 2025--2028 में प्रार्थीगण सं. 2 लगायत 9 के दादा स्व. मांगू पुत्र सेडू हिस्सा 1/3, देवीदत्त, गिरधारी लाल, प्रभूदयाल पि0 बस्ती हिस्सा 1/3 व इन्द्राज वल्द श्योदान हिस्सा 1/3 दर्ज रिकार्ड कर दी गई। जो इन्द्राजात कतई गलत दर्ज किये गये। दरअसल में इन्द्राज वल्द श्योदान का इस भूमि में कभी कोई हिस्सा नहीं रहा था न कब्जा रहा न उसे कोई अधिकार प्राप्त था न उसका कोई हित था। अतः उसका नाम इस जमाबन्दी में दर्ज किया जाना व उसका 1/3 भाग होना दिखाया जाना कतई गलत व आधारहीन था व है। ग्राम पंचायत रंवा के तत्कालीन सरपंच स्व. कासीराम खाती हम प्रार्थीगण के पूर्वजों से वैमनष्यता रखता था। लगता है इस स्थिति का लाभ उठाकर उक्त इन्द्राज ने सरपंच कासीराम से सांठ–गांठ करके व साज राजस्व अधिकारियों से इस प्रकार का गलत व आधारहीन इन्द्राज अपने नाम का करवा लिया तथा गलत रूप से मांगू का 1/2 भाग के बजाय 1/3 भाग व देवीदत्त गिरधारी प्रभूदयाल पुत्र बस्तीराम का भी 1/2 भाग के बजाय 1/3 भाग अंकित करवा दिया। ग्राम ककराय की 2028 के जमाबंदी के बाद की सभी अब तक जमाबंदियों में उक्त प्रकार की गलत प्रविष्टि की पुनरावृति होती रही। जिसमें इन्द्राज की मृत्यु के पश्चात् उसके दो पुत्रों अप्रार्थी सं. 5 व 6 का नाम भी गलत रूप से अंकित होता रहा। मांगू खातेदार की मृत्यु होने पर उसके 1/2 भाग की खातेदारी उसके पुत्र बिहारी के नाम दर्ज हो गई। चूंकि बिहारी की भी दिनांक 04.02.2019 को मृत्यु हो गई। अतः उसके 1/2 भाग के खातेदार खुद काबिज काश्तकार हम प्रार्थीगण सं. 1 लगा. 9 बहिस्सा बराबर–बराबर है। इन्द्राज पुत्र श्योदान का व उसकी मृत्यु के पश्चात उसके दो पुत्रों अप्रार्थी सं. 4 व 5 का वादवर्णित भूमि मुन्द्रर्जे धारा/वादपत्र से कोई किसी प्रकार का सम्बंध या सरोकार नहीं रहा है न है। यह वाद वर्णित कृषि भूमि में किसी भी हिस्से के न तो खातेदार काश्तकार है, न सहकृषक या उपकृषक अथवा अन्य किसी प्रकार के कृषक है न कभी रहे हैं। राजस्व रिकार्ड में प्रार्थीगण तथा अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 3 का नाम व उसके 1/2 भाग, 1/2 भाग की प्रविष्टि के अतिरिक्त अप्रार्थीगण सं. 5 लगा. 6 का नाम कायम रहने से प्रार्थीगण की पूरी–पूरी हकतलफी है। अप्रार्थीगण सं. 4 व 5 उनके नाम से गलत अंकन की गई 1/3 भाग की भूमि को विक्रय करने या अन्य को हस्तानान्तरण, दान पत्र अथवा बैंक के पक्ष में गिरवी रखने हेतु आमादा है। इसलिए उन्हें जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द कराया जाना जरूरी है। अप्रार्थीगण सं. 4 व 5 प्रार्थीगण को उक्त भूमि से वंचित रखते है तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि अप्रार्थीगण सं. 4 व 5 को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वे दौरान दावा आराजी कृषि भूमि मुन्दर्जे धारा/ वादपत्र में अथवा उसके किसी भाग पर जबरन कब्जा न करें, न काश्त करे, न ऐसा कोई कृत्य किसी अन्य से करवाये। तथा प्रार्थीगण को उसके 1/2 भाग की भूमि में काश्त करने व काबिज रहने में किसी प्रकार से मजाहमत, मदालखत न करें। साथ ही

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

उन्हें इस वाद के लिए भी पाबन्द किया जावे कि अपने नाम की रिकार्ड रेवेन्यू में कथित गलत प्रविष्टि के आधार पर व जमीन किसी को बिक्री न करें, दान न करें न बैंक या अन्य के पक्ष गिरवी रखें। तथा किसी भी प्रकार से हस्तान्तरित करने की कोई कार्यवाही न करें।

प्रार्थना पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर किया गया। अप्रार्थीगण की तलबी की गई। अप्रार्थी सं. 1 लगायत 5 की ओर से जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया कि वाके ग्राम ककराय स्थित भूमि गत् ख.नं. 276, 295, 296, 124 किता 4 रकबा 18 बीघा 4 बिस्वा के 1/3 हिस्से पर प्रतिदावाकर्ता/प्रतिवादी सं. 4/1 लगा. 4/6 एवं अप्रार्थी सं. 5 का हकपूर्वाधिकारी इन्द्राज काबिज था तथा 1/3 हिस्से पर मांगू पुत्र सेडू व 1/3 हिस्से पर बस्ती पुत्र चन्द्रा काबिज था। मूल रूप से मांगू किसी दूसरे गांव का था उसको यहां लाकर बसाया गया व इस भूमि में से 1/3 हिस्सा काश्त पर दिया गया था। इस प्रकार इस भूमि के 1/3 हिस्से पर मांगू एवं 1/3 हिस्से पर चन्द्रा का दत्तक पुत्र बस्तीराम जो इन्द्राज का जायन्दा भाई था वह काबिज था एवं 1/3 हिस्से पर इन्द्राज काबिज था। उसके बाद जब राजस्थान में काश्तकारी अधिनियम लागू किया तो यह कानूनी प्रावधान बनाया गया कि जो काश्तकार जिस भूमि को काश्त करता है वह उस भूमि का स्वतः ही खातेदार बन जाएगा। इसलिए इस भूमि के 1/3 हिस्से पर इन्द्राज काबिज था एवं लगान अदा करता था तथा 1/3 हिस्से पर मांगू पुत्र सेडू व 1/3 हिस्से पर बस्तीराम दत्तक पुत्र चन्द्रा काबिज था। उसके बाद जैसे ही राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू हुआ तो उसी अनुसार उस भूमि के खातेदार बन गए तथा पहले इन्द्राज छोटा होने से उसका नाम शुरू में दर्ज नहीं किया गया लेकिन वह काबिज था, उसके बाद नामांतकरण संख्या 102 के जरिये इन्द्राज पुत्र श्योदान 1/3 हिस्से का खातेदार दर्ज हुआ एवं उसका कब्जा पहले से ही था जिसकी प्रविष्टि जमाबंदी व खसरा गिरदावरियों में भी है। इस प्रकार इन्द्राज इस भूमि के 1/3 हिस्से का खातेदार था। इस भूमि के हाल बंदोबस्त ने नये खसरा नंबर 188, 312, 313, 314, 332, 333, 338, 339, 497/312 व 498/313 किता 10 रकबा 4.52 है. बनाया जिसके अनुसार अब इन्द्राज के वारिश अप्रार्थी सं. 4 व 5 का 1/3 हिस्सा दर्ज है। अप्रार्थीगण सं. 4/1 लगा. 4/6 जो मृतक इन्द्राज के पुत्र बलबीर के वारिश है उनका इस भूमि में 1/6 हिस्सा है तथा 1/6 हिस्सा अप्रार्थी सं. 5 का है। अप्रार्थी सं. 1 लगा. 3 का 1/3 व प्रार्थीगण का 1/3 हिस्सा है। इसी अनुसार वे काबिज काश्त है। अतः जवाब प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय खर्चा खारिज किया जावे।

प्रार्थीगण ने जरिये अधिवक्ता लिखित बहस प्रस्तुत कर प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीगण ने रेवेन्यू दस्तावेज में की गई गलत इन्द्राज को दुरूस्त करवाने हेतु श्रीमान् जी के यहां दावा व आवेदन पत्र अस्थाई का पेश किया जिसमें निवेदन किया कि जब तक वादीगण का दावा निर्णित नहीं हो जाता है जब तक अप्रार्थी 4/1 लगायत 4/6 एवं अप्रार्थी सं. 5 वर्तमान रेवेन्यू दस्तावेज व मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु प्रार्थीगण ने आवेदन किया है अगर दौराने दावा अप्रार्थी सं. 4 व 5 उक्त गलत अपने नाम दर्ज नामांतकरण के आधार पर वाद वर्णित भूमि को बिक्री कर देते हैं या गिरवी रख देते हैं या दान पत्र कर देते है तो नई कानूनी पेचदीगीयां पैदा होगी अप्रार्थी सं. 4 व 5 ने अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अपनी [illegible] साफ जाहिर कर दिया है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा [illegible] खातेदारी की भूमि का हस्तानान्तरण करने का पूर्ण अधिकार है ऐसा लिखा है जिससे साफ जाहिर होता है कि अप्रार्थी सं. 4 व 5 उक्त गलत रूप से अपने नाम 1/3 [illegible] की कृषि भूमि के रेवेन्यू दस्तावेज में अपने नाम दर्ज करवा ली है उस आधार पर अप्रार्थी संख्या 4 व 5 गलत रूप से दर्ज भाग की कृषि भूमि को खुर्द-बुर्द करने पर आमादा है। इसलिये न्याय हित में

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

आवश्यक है कि रिकार्ड व मौके की यथास्थिति ताफैसला दावा अप्रार्थीगण को पाबन्द किया जावे जिससे कानूनी पेचदीगीयां पैदा ना हो। प्रार्थीगण का यह प्रथम दृष्ट्या मामला है एवं सुविधा संतुलन भी प्रार्थीगण के पक्ष में है। दौरान दावा अप्रार्थी सं. 4/1 लगा. 4/6 व 5 उक्त गलत नामांतकरण के आधार पर रेवेन्यू दस्तावेज को बदलवा देते हैं तो प्रार्थीगण को अपूर्तनीय क्षति होगी जिसका मूल्यांकन मुद्रा में नहीं किया जा सकता। अतः अप्रार्थी सं. 4/1 लगायत 4/6 व 5 को तादौराने दावा रेवेन्यू दस्तावेजे एवं मौके की यथास्थिति बनाये रखने हेतु पाबन्द किये जाने की कृपा करें।

अप्रार्थीगण सं. 1 लगायत 5 की ओर से प्रार्थीगण की प्रस्तुत लिखित बहस का जवाब व लिखित बहस प्रस्तुत कर तर्क किया है कि अप्रार्थीगण सं. 1 लगा. 3 को प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के 1/2 हिस्सा के खातेदार वादीगण ने उन्हें अपने दावा में होना स्वीकार कर यह दावा पेश किया है तथा अनावदेक सं. 4/1 लगा. 4/6 एवं अनावेदक सं. 5 का 1/3 हिस्सा मुताबिक रिकार्ड दर्ज है। इस प्रकार अनावेदकगण इस भूमि के 2/3 हिस्से के खातेदार है आवेदकगण 1/3 हिस्सा के खातेदार है प्रथम दृष्ट्या अनावेदकगण खातेदार है एवं मौके पर अनावेदकगण का कब्जा है, कूप बनाकर, तारबाड़ पुख्ता पीलर लगाकर शांतिपूर्वक काबिज है तो किसी भी खातेदार के खिलाफ ना तो कब्जा काश्त के बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है ना ही अपने हिस्से के हस्तानान्तरण बाबत अस्थाई निषेधाज्ञा जारी की जा सकती है क्योंकि प्रत्येक खातेदार का प्रत्येक इंच पर कब्जा काश्त कानूनी माना जाता है तथा जो खातेदार है उसका कब्जा है यह कानून की उपधारणा है तथा प्रत्येक खातेदार को अपना हिस्सा उत्तराधिकार में प्राप्त करने उसे हस्तानान्तरित करने का अधिकार है। इस बाबत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम की धारा 140, 141 अवलोकन योग्य है इसलिये आवेदन पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा के लिये आवश्यक सभी तीनों बिन्दू अनावेदकगण के पक्ष में है। स्वयं आवेदक ने यह स्वीकार किया है कि नामांतकरण सं. 102 दिनांक 16.05.1969 के जरिये अनावेदक सं. 4/1 लगायत 4/6 का हकपूर्वाधिकारी एवं अनावेदक सं. 5 खातेदार बने है अर्थात् नामांतकरण एक विधिक प्रक्रिया है एवं उक्त नामांतकरण सन् 1969 में दर्ज किया है जिसको 52-53 साल हो चुके हैं वादीगण के हकपूर्वाधिकारी मांगू व बिहारी दोनों की मृत्यु इसके बाद हुई है मांगू की मृत्यु के बाद वादीगण ने बिहारी के नाम नामांतकरण दर्ज करवाया जो 1/3 हिस्सा का ही दर्ज करवाया बिहारी की मृत्यु के बाद वादीगण का 1/3 हिस्सा है अर्थात् मांगू के स्थान पर बिहारी 1/3 हिस्सा का खातेदार दर्ज हुआ नामांतकरण में 168 के बाबत वादीगण ने अपने दावा एवं अस्थाई निषेधाज्ञा में कोई आक्षेप नहीं उठाया है। अनावेदकगण सं. 1 लगायत 3 के 1/3 व अनावेदकगण सं. 4/1 से 4/6 एवं अनावेदक सं. 5 के 1/3 हिस्सा के कब्जा को वादीगण ने अपने दावा एवं दरखवास्त अस्थाई निषेधाज्ञा में बेदखली हेतु अनुतोष भी नहीं चाहा है अर्थात् वादीगण की खातेदारी एवं कब्जा काश्त के बाबत भी कोई आक्षेप नहीं उठाया है ऐसी स्थिति में आवेदकगण अस्थाई निषेधाज्ञा के माध्यम से कोई अनुतोष प्राप्त नहीं कर सकते हैं। अनावेदकगण जो खातेदार एवं काश्तकार हैं उनके खिलाफ अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती है। इसलिए यह प्रार्थना पत्र अस्थाई निषेधाज्ञा खारिज योग्य है।

मैंने उभय पक्ष के विद्वान योग्य अ[illegible] किया एवं रिकार्ड का अवलोकन किया। ग्राम ककरा तहसील खेतड़ी जि[illegible] (राज0) की जमाबंदी संवत् 2075-2078 के खाता सं. 91 में [illegible], देवीदत्त पुत्र बस्तीराम हिस्सा 1/9, प्रभूदयाल पुत्र ब[illegible] बलबीर पुत्र इन्द्राज हिस्सा 1/6, बिहारी पुत्र मांगू हिस्सा 1/3, संतलाल पुत्र इन्द्राज [illegible] 1/6 जाति जांगिड़ सा. देह खातेदार दर्ज रिकार्ड है। अप्रार्थीगण सं. 4 व 5 रिकार्डेड खातेदार है जो मृतक इन्द्राज

Signature Not Verified
Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:45 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Scanned with CamScanner

वल्द श्योदान के वारिशान है। वादग्रस्त भूमि में अप्रार्थी सं. 4 व 5 के हकपूर्वाधिकारी इन्द्राज के नाम इस भूमि में 1/3 हिस्सा है व इन्द्राज राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होने से पहले इस भूमि के 1/3 हिस्से पर काबिज होने एवं राजस्थान काश्तकारी अधिनियम लागू होते ही वह इस भूमि का खातेदार बन जाने एवं उसके बाद अप्रार्थी सं. 4 व 5 के हकपूर्वाधिकारी इन्द्राज के नाम नामांतकरण संख्या 102 विधिक प्रक्रिया से दर्ज होने से वह खातेदार था। राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 में यह स्पष्ट प्रावधित है कि अधिकार अभिलेख की सब प्रविष्टियां तब तक शुद्ध मानी जायेंगी जब तक कि प्रतिकूल साबित न किया जाये। इस प्रकार उक्त राजस्व रिकार्ड की प्रविष्टियां जरिये नामांतकरण दर्ज हुई हैं। रिकार्डेड खातेदार के पक्ष में उसका कब्जा होने की प्रकल्पना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 140 के अधीन मानी गई हैं और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा नहीं दी जा सकती। अस्थाई निषेधाज्ञा के प्रार्थना पत्र में प्रार्थीगण को अपना कब्जा दावा दायरी के दिन साबित करना अपेक्षित होता है व प्रथम दृष्टया प्रकरण भी सिद्ध करना आवश्यक होता है जो प्रार्थीगण द्वारा सिद्ध नहीं किया गया है क्योंकि दावा दायरी के दिन अप्रार्थीगण रिकार्डेड खातेदार राजस्व रिकार्ड में अंकित हैं और रिकार्डेड खातेदार के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी नहीं की जा सकती। सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति के बिन्दुओं पर वकील प्रार्थीगण की बहस के अनुसार मामला प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या साबित नहीं होता है। प्रार्थीगण को अपूर्णीय क्षति व सुविधा का संतुलन नहीं है। इस मत से मैं सहमत हूं कि जब प्रार्थीगण का प्रथम दृष्ट्या केस नहीं है तो सुविधा का संतुलन व अपूर्णीय क्षति प्रार्थीगण के पक्ष में नहीं है। प्रार्थीगण इस प्रार्थना पत्र के माध्यम से अपेक्षित अनुतोष प्राप्त करने के अधिकारी नहीं पाये जाते हैं। विस्तृत निर्णय मूल वाद में साक्ष्यों के आधार पर दिया जाना उचित होगा।

अतः उपरोक्त विवेचन स्वरूप प्रार्थीगण का हस्तगत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 11–05–2022 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(जय सिंह)
उपखण्ड अधिकारी एवं
पदेन सहायक कलक्टर, खेतड़ी

उपखण्ड अधिकारी, खेतड़ी

Signature Not Verified

Digitally signed by Jai Singh
Date: 2022.10.20 15:49:45 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with CamScanner